A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी— श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
66/प्रा.पत्र/2015	02.06.2015	25.06.2024

सरदार आ. छोटू जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवा जिला बून्दी।
—प्रार्थी

बनाम

मोहनलाल आ. चुन्नीलाल जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवा, जिला बून्दी।
—अप्रार्थी

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से—श्री अमर सिंह राठौड़ एड.
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी मोहनलाल आ. चुन्नीलाल जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैंनवा को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 144 वर्तमान खसरा संख्या 753/144 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम कालानला तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 20.06.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.01.2017 को बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस समाअत की गई।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी मोहनलाल को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 144 वर्तमान खसरा संख्या 753/144 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम कालानला तहसील नैंनवा का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 20.06.1999 को किया गया था। उक्त भूमि पर आवंटन तिथि से पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जाकाश्त हैं। आवंटन नियमों के अनुसार जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हैं वहां भूमि का आवंटन भूमिहीन व्यक्तियों को वरियता के आधार पर किया जाना चाहिए परन्तु अप्रार्थी भूमिहीन नहीं हैं, अप्रार्थी के नाम अन्य भूमि भी हैं एवं आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी को भौतिक कब्जा नहीं दिलाया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 20.06.1999 को खारिज किया जावे।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6/2

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी मोहनलाल को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 20.06.1999 को आवंटन किया गया हैं। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी ने आवंटन प्रार्थना पत्र में तो 4 बीघा अंकित किया था परंन्तु अप्रार्थी को आवंटन 2 बीघा का ही हुआ था। आवंटन नियमों के अनुसार जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हैं वहां भूमि का आवंटन भूमिहीन व्यक्तियों को वरियता के आधार पर किया जाना चाहिए परन्तु अप्रार्थी भूमिहीन नहीं हैं, अप्रार्थी के नाम अन्य भूमि भी हैं एवं आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) का अवलोकन किया जिसमें यह उल्लेखित हैं कि यदि आवंटन कपट या दुव्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा। न्यायालय द्वारा आवंटी मोहनलाल को तलब किये जाने पर बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रथमदृष्ट्या यह जाहिर होता हैं कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन खसरा संख्या 144 वर्तमान खसरा संख्या 753/144 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम कालानला तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 20.06.1999 को एतद द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतिक्रमी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बूंदी (राज०)

अति. जिला कलक्टर,
बून्दी